राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

[illegible]ा संख्या :- 331/2022 धारा [illegible]

उदा पुत्र गिरधारी [illegible] जाति [illegible] – [illegible] – करेड़ा

प्रार्थी......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

विपक्षीगण.

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956</u>

: आदेश : दिनांक 12/12/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 78 आराजी नम्बर 6627/0.4586/ 6628/0.3415/ 6629/0.2529/ 6630/0.4300/ 6631/0.1138/ 6632/1.7193/ 6633/1.1129/ कुलकिता 7 रकबा 4.4516 हैक्टेयर भूमि स्थित है। [illegible] भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/12/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह [illegible] है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार [illegible] से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित [illegible] जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

: आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 78 आराजी नम्बर पटवार हल्का करेड़ा 6627/0.4586/ 6628/0.3415/ 6629/0.2529/ 6630/0.4300/ 6631/0.1138/ 6632/1.7193/ 6633/1.1129/ कुलकिता 7 रकबा 4.4516 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को 12/12/22 [illegible] कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा [illegible] पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर [illegible]रगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

[illegible]:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

[illegible]लिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा [illegible] अनुसार पत्थरगढी की [illegible]कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी की उक्त आराजियात का विपक्षी संख्या 01 पड़ौसी है।